हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

सोलहवां सत्र

मंगलवार, 22 अगस्त, 2017/31 श्रावण,1939 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **शोकोद्‌गार:**

श्री सदा नंद चौहान, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार ।

2. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

3. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

4. **स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

(1) हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 9); और

(2) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) ।

5. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (प्रथम संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:का0 (नियुक्ति-IV)-बी(7)-1/1998 दिनांक 19.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.04.2017 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1986 की धारा 45 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारीए , वर्ग- I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:पब-ए-(3)-3/2013 दिनांक 11.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.05.2017 को प्रकाशित; और

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, गैस्टेटनर आपरेटर , वर्ग- IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:पब-ए(3)-2/201 दिनांक 11.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.05.2017 को प्रकाशित ।

(4) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग, आशुटंकक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:एस.डब्लू.डी.(बी)2-14/2016 दिनांक 22.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.03.2017 को प्रकाशित;

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग , कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III(अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:एस.डब्लू.डी.(बी)2-15/2016 दिनांक 27.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.03.2017 को प्रकाशित;

(3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग , चालक, वर्ग- III(अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:एस.डब्लू.डी.(बी)2-12/2016 दिनांक 20.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.03.2017 को प्रकाशित; और

(4) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग , चपरासी एवं चौकीदार, वर्ग-IV(अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:एस.डब्लू.डी.(बी)2-11/2016 दिनांक 27.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.03.2017 को प्रकाशित ।

6. अध्यादेश :

श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 29.06.2017 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 2)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे ।

7. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **28वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) जोकि समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **29वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) जोकि समिति के 25वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति का **36वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) जोकि समिति के 30वें मूल प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री राकेश कालिया, सभापति,जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **33वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **कार्मिक विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का **34वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

(1) **श्री कुलदीप कुमार**
(2) **श्रीमती सरवीन चौधरी**
(3) **श्री महेश्वर सिंह**
(4) **श्री जय राम ठाकुर** } प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बरसात, भू-स्खलन एवं बादल फटने से हुए जान-माल के नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

शिमला-171 004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक: 21 अगस्त, 2017 **सचिव ।**

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)